


08.02.18

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में बार-बार
आवाज लगाई गई किन्तु शापल एवं गैरशापल
असालतन या वकालतन उपस्थित नहीं आये।
अतः प्रथमा पत्र 15 एवं काउन्टर 15 अरुम
हाजरी व अरुम पैरवी में खारिज किये जाते
हैं।

पत्रावली फ़ैसलसुमार होकर नंबर से कम
हो एवं बाद तकमील संलग्न मूल वाहर हो।


सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी